मीरजापुर पुलिस

दिनांक- 15.02.2021

नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 40 दिन के अन्दर आजीवन कारावास की सजा—

शासन के निर्देशानुसार पॉक्सो एक्ट के अभियोगों में त्वरित कार्यवाही कराते हुए मा0न्यायालय से अपराधियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के क्रम में पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के सघन पर्यवेक्षण एवं न्यायालय से समन्वय स्थापित करके गुणवत्तापूर्ण विवेचना करवा न्यायालय से प्रभावी पैरवी कर, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के मॉनीटरिंग एवं क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के विवेचना के परिणामस्वरुप नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 40 दिन के अन्दर आजीवन कारावास की सजा मा0न्यायालय द्वारा सुनाई गयी। दिनांक 07.01.2021 को थाना मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी महिला द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि उसकी 06 वर्षीय पुत्री (गूँगी) को उसी गांव के निवासी राकेश यादव पुत्र संतू यादव द्वारा जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-06/21 धारा 376 एबी भा0द0वि0, 5/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना मड़िहान में पंजीकृत उपरोक्त अभियोग (न्यायालय की सत्र परीक्षण सख्या 30/2021) में तात्कालिक क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन प्रभात राय द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता श्रीमती सुनीता गुप्ता (SPP) तथा कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 पुष्पा गुप्ता व का0 विट्टू कुमार सिंह द्वारा मजबूती से साक्ष्यों व गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत व जिरह करने, पैरोकार हे0का0 उमेश कुमार के पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 15.02.2021 को मुकदमें के अभियुक्त राकेश यादव पुत्र सन्तु यादव निवासी गोपलपुर,जुड़िया थाना मड़िहान मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में धारा-376 एबी भा0द0वि0 समतुल्य धारा-6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए कठोर आजावीन कारावास से, जिसका तात्पर्य अभियुक्त के नैसर्गिक जीवन के शेष के लिए कारावास से होगा, तथा 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट के अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी, अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि कुल 01 लाख रुपये, बतौर प्रतिकर पीडिता को प्रदान की जायेगी। उक्त सजा माननीय विशेष न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।

त्वरित न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालो को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा ₹ 25000/- से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई।